ई-मेल/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 एस0पी0एम0 (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 आर0एम0एल0 चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/ओपेक चिकित्सलय, कैली बस्ती/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, मेरठ/आगरा/वाराणसी/बरेली/मुरादाबाद/गोरखपुर/झांसी/फैजाबाद/इलाहाबाद।
5. समस्त प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय, उ0प्र0।
6. मुख्य चिकत्सा अधीक्षक, रानी लक्ष्मीबाई, संयुक्त चिकित्सालय, लोक बन्धु राज नारायण, संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/टी0बी0 चिकित्सालय, लखनऊ/तेलियर गंज इलाहाबाद, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी, एस0आर0एन0 चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू चिकित्सालय, टी0बी0 सप्रू, चिकित्सालय, इलाहाबाद।
7. अपर निदेशक, मलेरिया जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अपर निदेशक, राज्य विधि विशेषज्ञ ऐशबाग, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण परिवार कल्याण, महानिदेशालय, लखनऊ।
10. अपर निदेशक, राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, सेक्टर-सी अलीगंज, लखनऊ/वाराणसी।
11. प्रधानाचार्य, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक-4डी(1)/438/2015/ 708 लखनऊ : दिनांक : 04 ~~फरवरी~~ मार्च 2016

विषयः- चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) से तृतीय श्रेणी (समूह-ग) कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महानिदेशालय स्तर पर चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) से तृतीय श्रेणी (समूह-ग) कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में प्रचलित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदेश के अधीनस्थ चिकित्सालयों/कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ सहायक) में पदोन्नति हेतु प्राप्त कुल 1549 आवेदनों के परीक्षणोंपरान्त 1453 अभ्यर्थियों की सूची (जिसे **सूची** ए कहा गया है) इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-17 (अभ्युक्ति) में अंकित स्थिति/कमियों से अवगत करायें तथा साथ ही ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिलेख अपूर्ण/अप्राप्त हैं, उन्हें प्रत्येक दशा में दिनांक 14.03.2016 तक महानिदेशालय के अनुभाग-4 डी(1) में सम्पर्क कर उन

कमियों/अभिलेखों को पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित करें। सूची में अंकित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि/संशोधन हेतु भी अभ्यर्थी दिनांक 14.03.2016 तक संबंधित अभिलेखों सहित महानिदेशालय में सम्पर्क कर सकते हैं। आपके अधीन ऐसे कर्मचारी जिनका सूची-ए में नाम है, को यह भी पुनः अवगत कराना सुनिश्चित करें कि वे हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट (न्यूनतम) की गति प्राप्त करने हेतु अभ्यास करते रहें।

उक्त के अतिरिक्त ऐसे 96 अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची (जिसे **सूची बी** कहा गया है) भी इस पत्र के साथ पृथक से संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख कॉलम-10 (निरस्त का आधार) के संबंध में यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रार्थना की जानी है, तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित अपना प्रार्थना-पत्र/आपत्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 14.03.2016 तक महानिदेशालय के अनुभाग-4डी(1) में उपलब्ध करायें।

महानिदेशालय में अभ्यर्थियों द्वारा कमियों/अभिलेखों को पूर्ण कराने एवं किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रार्थना हेतु अंतिम तिथि 14.03.2016 निर्धारित हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का अभिलेख अथवा आपत्ति किसी भी माध्यम से स्वीकार नही की जायेगी। यदि दिनांक 14.03.2016 तक अभ्यर्थी (सूची-ए में अंकित) वॉछित अभिलेख महानिदेशालय में उपलब्ध नही कराता है, तो उसे अपात्र मानते हुये पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक अधिकारी एवं अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस पत्र के साथ प्रोन्नति प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश भी निर्गत किये जा रहे हैं, जिनका अक्षरशः पालन करना एवं कराना आपका दायित्व/कर्तव्य होगा।

उक्त सूची (ए व बी) विभागीय बेव साईट www.uphealth.up.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में समय-समय पर पृथक से पत्र वेब साईट पर भी अपलोड किये जायेंगे। कृपया वेब साईट के सम्पर्क में रहें।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक-4डी(1)/438/2015/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-4
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/महामंत्री, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।

अपर निदेशक
(मुख्यालय परिदिगत)

कमियों/अभिलेखों को पूर्ण कराने हेतु भी निर्देशित करें। सूची में अंकित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं में किसी प्रकार की त्रुटि/संशोधन हेतु भी अभ्यर्थी दिनांक 14.03.2016 तक संबंधित अभिलेखों सहित महानिदेशालय में सम्पर्क कर सकते हैं। आपके अधीन ऐसे कर्मचारी जिनका सूची-ए में नाम है, को यह भी पुनः अवगत कराना सुनिश्चित करें कि वे हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट (न्यूनतम) की गति प्राप्त करने हेतु अभ्यास करते रहें।

उक्त के अतिरिक्त ऐसे 96 अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची (जिसे **सूची बी** कहा गया है) भी इस पत्र के साथ पृथक से संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख कॉलम-10 (निरस्त का आधार) के संबंध में यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रार्थना की जानी है, तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित अपना प्रार्थना-पत्र/आपत्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 14.03.2016 तक महानिदेशालय के अनुभाग-4डी(1) में उपलब्ध करायें।

महानिदेशालय में अभ्यर्थियों द्वारा कमियों/अभिलेखों को पूर्ण कराने एवं किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रार्थना हेतु अंतिम तिथि 14.03.2016 निर्धारित हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का अभिलेख अथवा आपत्ति किसी भी माध्यम से स्वीकार नही की जायेगी। यदि दिनांक 14.03.2016 तक अभ्यर्थी (सूची-ए में अंकित) वाँछित अभिलेख महानिदेशालय में उपलब्ध नही कराता है, तो उसे अपात्र मानते हुये पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक अधिकारी एवं अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस पत्र के साथ प्रोन्नति प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश भी निर्गत किये जा रहे हैं, जिनका अक्षरशः पालन करना एवं कराना आपका दायित्व/कर्तव्य होगा।

उक्त सूची (ए व बी) विभागीय बेव साईट www.uphealth.up.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में समय-समय पर पृथक से पत्र वेब साईट पर भी अपलोड किये जायेंगे। कृपया वेब साईट के सम्पर्क में रहें।

भवदीय,

/

(राकेश कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक-4डी(1)/438/2015/709-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अनु सचिव, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-4
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अध्यक्ष/महामंत्री, चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।

अपर निदेशक
(मुख्यालय परिधिगत)

-: दिशा-निर्देश :-

महानिदेशालय के पत्र दिनांक 04.03.2016 के साथ प्रोन्नति प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जाना अनिवार्य है।

1. प्रदेश के समस्त परिधिगत अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को महानिदेशालय स्तर पर प्रचलित प्रक्रियाओं से अनिवार्य रुप से अपने कार्यालय पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुये, उसकी सूचना महानिदेशालय को भी अवश्य उपलब्ध करायें।
2. महानिदेशालय के पत्र दिनांक 04.03.2016 के साथ संलग्न सूची-ए में अंकित अभ्यर्थियों के नाम के साथ कॉलम संख्या-1 में अंकित अनुक्रमांक, उस अभ्यर्थी हेतु, प्रोन्नति से संबंधित समस्त परीक्षाओं/प्रक्रियाओं में प्रभावी रहेगा।
3. अभ्यर्थियों की दोनो सूची (सूची-ए व बी) विभागीय वेब साईट www.uphealth.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।
4. भविष्य में आयोजित होने वाली टंकण परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में समय-समय पर पृथक से पत्र एवं परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र वेब साईट पर भी अपलोड किये जायेंगे। कृपया वेब साईट के सम्पर्क में रहें।
5. सूची-ए में सम्मिलित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अंकित सूचना/विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि/संशोधन हेतु, अभ्यर्थी दिनांक 14.03.2016 तक संबंधित अभिलेखों सहित महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ में सम्पर्क कर सकते हैं।
6. सूची-ए में सम्मिलित अभ्यर्थी जिनके अभिलेख अपूर्ण/अप्राप्त है, वे अभ्यर्थी प्रत्येक दशा में दिनांक 14.03.2016 तक महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के अनुभाग-4डी(1) में सम्पर्क कर उन कमियों/अभिलेखों को अवश्य पूर्ण करायें। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अथवा अन्य प्रकरण में कोई वाद मा0 न्यायालय में लम्बित हैं, तो वे वाद की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करायें। अन्यथा की स्थिति में उस अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुये पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक अधिकारी एवं अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
7. सूची-बी में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पदोन्नति हेतु अनर्ह पाया गया है वे सूची के कॉलम-10 (निरस्त का आधार) के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रार्थना करना चाहते हैं, तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित अपना प्रार्थना-पत्र/आपत्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 14.03.2016 तक महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0, लखनऊ के अनुभाग-4डी(1) में उपलब्ध करायें।
8. निर्धारित दिनांक 14.03.2016 के पश्चात कोई भी अभिलेख अथवा आपत्ति किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियंत्रक अधिकारी एवं अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
9. ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम सूची-ए में अंकित है, वे हिन्दी टंकण (25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम) की गति) का अभ्यास करते रहें।
10. टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी को अपनी टंकण मशीन स्वयं लाना अनिवार्य होगा।
11. प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लेने हेतु निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ सक्षम अधिकारी है। निदेशक (प्रशासन) महोदय का निर्णय ही अन्तिम रुप से मान्य होगा।

नोटः- विभागीय वेब साईट www.uphealth.up.nic.in पर पदोन्नति से संबंधित पत्र एवं सूचनायें अपलोड की जायेगी। कृपया वेब साईट के सम्पर्क में रहें।

4.3.16